उच्च शिक्षा निदेशालय,हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रवेश शुल्क,छात्रवृत्ति,मानदेय,रियायतें,प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जाति आधार पर मिलने वाली सुविधाओं (आरक्षण) में सम्बन्धित शासनादेशों, कार्यालयी ज्ञापों,कार्यवृतों आदि का संकलन ।

प्रथम खण्ड

(09 नवम्बर,2000 से पूर्व जारी शासनादेशों,कार्यालय ज्ञाप आदि जो राज्य में अद्यतन लागू हैं)

संख्या 732 / 6(1)28 / 28–2–80

प्रेषक,

श्री कृष्ण विहारी मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ०प्र०
(शिक्षा अर्थ–3 विभाग) इलाहाबाद।

पर्वतीय विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक नवम्बर 17, 1980

विषय : पर्वतीय अंचल में असेवित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां उच्च शिक्षा हेतु 10 कि०मी० की परिधि में कोई डिग्री कालेज उपलब्ध न हो। यह क्षेत्र असेचित समझे जायेंगे। ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले छात्रों को जो उच्च अध्ययन हेतु अपने निवास स्थान से निकटतम महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र (1980–81) से विशेष छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दर छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों को रु० 100/– प्रतिमाह तथा ऐसे कालेजों में जहां छात्रावास की सुविधा न हो रु० 125/– प्रतिमाह होगी। छात्रवृत्ति की सुविधा केवल स्नातक स्तर तक की उपलब्ध होगी।

2– राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980–81) में उक्त प्रयोजन हेतु रु० 2,00,000/– केवल दो लाख रूपये मात्रद्ध की धनराशि आपके अधिकार में रखते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूचना यथा समय शासन को भी भेजी जाय। छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली संलग्न है।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980–81) के वजट शीर्षक "299–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र आयोजनागत–ग–शिक्षा (ध) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतम शिक्षा (IV) छात्रवृत्ति 1 /छात्रवेतन (9) असेवित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा के नामे लिखा जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– ई–11–2507/दर–1980 दिनांक 8 सितम्बर, 1980 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय ,
(कृष्ण बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्या –732(1) 5(1)/28–2–80

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1– महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2– शिक्षा निदेशक व संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) उ०प्र० पार्क रोड, लखनऊ।
3– उप शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4– उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी (गढ़वाल)।

संख्या 6472/5(57)79/28-2-83

प्रेषक,

श्री शम्भू नाथ सिन्हा,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आठों पर्वतीय जिलों के जिलाधिकारी।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक अक्टूबर 26, 1983

विषय : पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं०- 2-9-13 अठाईस-वी-डी० ए० 66, दि० 30-4-1966 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि आपको विदित है कि पर्वतीय जनपदों में उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उक्त जनपदों के छात्रों को जनपद तथा अपने क्षेत्रों से बाहर उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तीन सीमान्त जनपदों के लिये वर्ष 1966 में सीमान्त छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई थी जो अन्ततः सभी आठों जनपदों पर भी उसी रूप लागू कर दी गयी थी। इस बात को देखते हुए कि इस मध्यान्तर में पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा में विस्तार हुआ है। इस प्रश्न पर समस्त पहलुओं से विचार करने के लिए उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं पाठयक्रम हेतु छात्रवृत्ति देना समुचित है जो प्रोफेशनल तथा तकनीकी प्रकार के है तथा जिनके लिये सुविधा पर्वतीय जनपदों में से किसी भी जनपद में नहीं है अथवा यदि है भी तो उनके प्रवेश अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। उपर्युक्त आधार पर शासनादेश सं० 2-9-13 टाइस -वी०डी०ए०-66 दिनांक 30-4-1966 एवं तदोपरान्त इस सम्बन्ध में निर्गत समस्त आदेश एवं नियम उस सीमा तक संशोभित हो जायेंगे, जहां तक इस नियमावली में प्राविधान किया गया है। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि यह नियमावली 1-7-83 लागू मानी जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं०- ई०-11-1776/2/83 दिनांक 29-7-1983 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय ,
शम्भू नाथ सिन्हा
उप सचिव

संख्या 6972(1) /5(57/28-2-79/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- आठों जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक।
3- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र० इलाहाबाद।
4- आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5- संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) पार्क रोड, लखनऊ।
6- मण्डलीय उप शिक्षा उप शिक्षा निदेशक कुमायूँ एवं गढ़वाल।
7- शिक्षा अनुभाग-11 वित्त ई- 11 अनुभाग।
8- निदेशक सूचना विभाग,

पर्वतीय अंचल में असेवित क्षेत्र के छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध मे नियमावली जिसका उल्लेख शासनादेश संख्या-732/5(1)/28-2-80 दिनांक नवम्बर 17, 1980 में किया गया है।

----

1. यह छात्रवृत्ति पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर निवास करने वाले छात्र/छात्राओं को उपलब्ध होगी जिनके निवास स्थान से 10 कि0मी0 की परिधि के अन्दर कोई महाविद्यालय न हो और वे अपने निवास स्थान के निकटतम महाविद्यालय में अध्ययन करें। यदि निकटतम महाविद्यालय में वांछित संकाय (विज्ञान संकाय अथवा वाणिज्य संकाय) न हों तो वह महाविद्यालय निकटतम महाविद्यालय होगा जहां पर वांछित विषयों की सुविधा होगी।
2. यह छात्रवृत्ति केवल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में उच्च सामान्य शिक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को ही प्रदान की जावेगी।
3. यह छात्रवृत्ति केवल ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी जिन्होंने इण्टर परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हों।
4. यह छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी जिनके अभिभावकों की आय रू0 600/- प्रतिमाह से अधिक नही होगी। आय का प्रमाण-पत्र राज्य कर्मचारी होने की दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से तथा अन्य लोगों का सम्बन्धित जिलाधिकारी से लिया जावेगा।
5. छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष की होगी (प्रथम वर्ष में 8 माह तथा द्वितीय वर्ष में 12 माह) यह छात्रवृत्ति केवल स्नातक स्तर तक ही सीमित रहेगी।
6. छात्रवृत्ति की दर छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए रू0 100/- प्रतिमाह तथा छात्रावासों से बाहर वालों के लिए रू0 125/- प्रतिमाह होगी।
7. छात्रवृत्ति की स्वीकृति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात् दी जावेगी।

पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्र के बाहर उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु मिलने वाली छात्रवृत्ति के नियम।

शीर्षक- 1- यह नियमावली पर्वतीय जनपदों के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्र के बाहर परन्तु भारत वर्ष के अन्दर उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु मिलने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा की नियमावली कहलायेगी।

पाठ्यक्रम एवं अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि 2- इस नियमावली के अन्तर्गत केवल निम्नांकित पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक के सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।

पाठ्यक्रम	अधिकतम अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि
1	2
स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम	
1- एम.एस.सी. (ए.जी.)	100 रू0 प्रतिमास
2- एम.एस.सी. (हार्टीकल्चर)	100 रू0 प्रतिमास
3- एम.एस.डब्लू.	100 रू0 प्रतिमास
4- एम.पी.ए.	100 रू0 प्रतिमास
5- एम.बी.ए.	150 रू0 प्रतिमास
स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम	
6- बी.ई.	150 रू0 प्रतिमास
7- एम.बी.बी.एस.	150 रू0 प्रतिमास
8- लाइब्रेरी साइंस डिग्री कोर्स	75 रू0 प्रतिमास
9- बी.बी.एस.सी.	75 रू0 प्रतिमास
10- बी.एस.सी. (ए.जी.)	75 रू0 प्रतिमास
11- बी.टेक.	150 रू0 प्रतिमास
12- बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग)	150 रू0 प्रतिमास
13- इन्टेग्रेटेट कोर्स इन एप्लाइड जियोफिजिक्स	50 रू0 प्रतिमास
14- आयुर्वेद, होमियोपैथी तथा यूनानी पंच वर्षीय डिग्री कोर्स	150 रू0 प्रतिमास
15- बी.डी.एस.	150 रू0 प्रतिमास
डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम	
16- डिप्लोमा इन प्रिंटिंग एण्ड टेक्नालॉजी	50 रू0 प्रतिमास
17- डिप्लोमा इन मेडिकल कोर्स	50 रू0 प्रतिमास
18- डिप्लोमा इन आर्ट व क्राफ्ट	50 रू0 प्रतिमास
19- डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस	50 रू0 प्रतिमास
20- डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन	50 रू0 प्रतिमास
21- यूनानी डिप्लोमा कोर्स	50 रू0 प्रतिमास
22- नर्सरी ट्रेनिंग	50 रू0 प्रतिमास

छात्रवृत्ति की अवधि 3- यह छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम की वास्तविक अवधि या 9 माह जो भी कम हो, के लिए देय होगी। परन्तु चिकित्सा शिक्षा के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए इन्टर्नशिप की अवधि को छोड़कर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिये छात्रवृत्ति देय होगी।

पात्रता 4- इस नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्बन्धित पर्वतीय जिले के जिलाधिकारी से जिले का मूल निवासी (डोमीसाइल्ड) होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो जो इस नियमावली में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम भारत के अन्दर उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम का शिक्षण/ट्रेनिंग देने के लिए शासन द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हों परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि छात्र के माता-पिता (अभिभावक यदि माता-पिता जीवित न हों) की वार्षिक आय 9000/- के वार्षिक से अधिक न हो।

अनुमन्यता 5- इस नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति केवल उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों/ट्रेनिंग के लिये मिलेगी जिनका उल्लेख इस नियमावली के नियम-2 में है।

6- जो छात्र शुल्क मुक्ति का लाभ पा रहे हों वे भी इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे।

7-ए- जो छात्र जिसे किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति या सहायता प्राप्त हो रही हो वह इन नियमों के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन पत्र दे सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस नियम के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य श्रोत के मिलने वाली छात्रवृत्ति या सहायता की कुल धनराशि मिलाकर इस नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य छात्रवृत्ति के दूने से अधिक न होगी और यदि कुल धनराशि अधिक होती है तो उतनी धनराशि तक, जितनी कि छात्रवृत्ति की दूने से अधिक है, छात्रवृत्ति की धनराशि कम अनुमन्य की जायेगी।

7-बी- इस नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति पाठ्यक्रमों के लिए एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक निरन्तर मिलती रहेगी, पर यह छात्र की सन्तोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करेगी। यदि कोई छात्र जो नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पा रहा हो एक बार अनुत्तीण हो जाता है या उसकी आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो तो उन्हें दुबारा छात्रवृत्ति तभी अनुमन्य होगी जब वह निर्धारित परीक्षा उत्तीण होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों से 5% अधिक प्राप्त करे तथा उसका आचरण संतोषजनक प्रमाणित कर दिया जाय। एक छात्र के अनुत्तीर्ण होने तथा पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने पर उत्तीर्ण होने के बीच की अवधि के लिए कोई छात्रवृत्ति देय न होगी। यदि कोई छात्र एक ही स्तर पर दो बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या उसका आचरण असंतोषजनक होने की रिपोर्ट दुबारा प्राप्त होती है तब उसकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायगी। यदि कोई छात्र किसी वर्ष पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण होता है तब उसे सामान्य परीक्षा से उसकी पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने के बीच के अन्तराल के लिए छात्रवृत्ति अनुमन्य न होगी।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र 8- इस नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र इस नियमावली की अनुसूची "क" में निर्धारित प्रपत्र में उस संस्था के प्रधान को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा जिस संस्था में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा हो अथवा ट्रेनिंग पा रहा हो। संस्था का प्रधान तब उसकी एक प्रति अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित करेगा।

स्वीकृति की प्रणाली। 9- संस्था के प्रधान के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी जो उसके नियंत्रण में हो, के माध्यम से आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति की जांच करेंगे तथा अभ्यर्थी को पात्रता से अपने को संतुष्ट करने के उपरान्त इस नियमावली के नियम-2 में निर्दिष्ट दरों एवं नियम 4,5 व 7 में उल्लिखित प्रतिबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि स्वीकृत करेंगे।

अनुबन्ध पत्र 10- इस नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को इस नियमावली के अनुसूची "ख" में प्रपत्र के एक अनुबन्ध पत्र प्रदेश के राज्यपाल के नाम भर देना होगा कि पाठ्यक्रम/ट्रेनिंग पूरी होने पर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र की सेवाओं को शासन को यदि आवश्यकता हुयी तो उसे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में किसी स्थान पर यदि ऐसा किसी कारणों से सम्भव न हो सका तो उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्र में किसी स्थान पर कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र द्वारा ऐसा न करने पर वह इस नियमावली के अन्तर्गत उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि तथा छात्रवृत्ति की प्राप्ति के दिनांक से उस पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का देनदार होगा। साथ ही यदि ऐसा छात्र अपना शिक्षण सफलता पूर्वक पूरा नहीं करता है तब शासन छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज सहित वापिस ले सकता है।

शम्भू नाथ सिन्हा
उप सचिव।

अनुसूची "क"

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जिला ....

1- आवेदन कर्ता का नाम, तथा स्थाई पता ग्राम, पट्टी तथा खण्ड का नाम सहित (स्पष्ट अक्षरों में) ....

2- पिता का नाम (यदि जीवित न हों तो अभिभावक का नाम) तथा पता ....

3- माता-पिता/संरक्षक की मासिक/वार्षिक आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

4- शैक्षिक योग्यता :-

कक्षा	स्कूल या महाविद्यालय	प्राप्त श्रेणी	अन्तिम परीक्षा के प्राप्त अंक (अंक सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)		अतिरिक्त सूचना
			कुल अंक	प्राप्त अंक	
1	2	3	4	5	6

5- कक्षा तथा संस्था का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहा हो ....

6- पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति चाहिए। ....

7- क्या छात्र किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता पा रहा है यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण- ....

मैं, एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त दी हुई सूचनाएँ सही हैं।

.... (हस्ताक्षर-माता-पिता/संरक्षक)

.... (हस्ताक्षर : आवेदनकर्ता)

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/कु0 .... कक्षा .... संस्था .... स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय संस्थान में अध्ययनरत है जिनको सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त "कोर्स" में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन के लिये प्रवेश दिया गया है, वह ग्राम .... ब्लाक .... जिला ....के निवासी हैं। इनका व्यवहार सन्तोषजनक है। संस्था के अभिलेखों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। मैं संस्तुति करता हूँ कि चालू शैक्षणिक सत्र में इनको छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 .... स्वीकृत की जाय।

....

दिनांक :

स्थान :

.... हस्ताक्षर तथा पद संस्थाध्यक्ष

जिलाधिकारी द्वारा पारित आज्ञा

आवेदनकर्ता श्री/कु0 .... पुत्र/पुत्री श्री .... आर./आ. को छात्रवृत्ति की धनराशि .... कक्षा .... संस्था .... स्कूल/कालेज/संस्थान वर्ष .... में शिक्षा ग्रहण करने के लिये स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर-जिलाधिकारी

संख्या : 261/15-86(11)-4ए(1)/79

प्रेषक,

डा० एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (11) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 1986

विषय : **प्रदेश के अनानुदानित अशासकीय महाविद्यालयों को शासन की अनुरक्षण सूची में सम्मिलित करने हेतु मानकों का निर्धारण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अनानुदानित अशासकीय सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों को शासन की अनुरक्षण अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानकों को निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) महाविद्यालय अपने अस्तित्व के न्यूनतम तीन वर्ष पूरे कर चुका हो।

(2) महाविद्यालय को सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई हो।

(3) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद न हो और यह सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(4) महाविद्यालय में नियमानुसार चयनित एवं अनुमोदित प्राचार्य तथा प्रवक्ता नियुक्त कर लिये गये हों।

(5) महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल उत्तम रहा हो (75 प्रतिशत से अधिक)।

(6) महाविद्यालय शैक्षिक एवं वित्तीय दृष्टि से वायबुल हो और इसकी कुल छात्र संख्या 150 हो गई हो। केवल उन्हीं विषयों के प्रवक्ता पदों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में छात्र संख्या न्यूनतम 25 हो। छात्राओं के महाविद्यालय में छात्राओं की कुल छात्र संख्या 100 हो तथा स्नातक स्तर के विषय के प्रथम वर्ष की न्यूनतम छात्राओं की संख्या 20 हो।

(7) अनुदान सूची पर लाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध हो।

2- महाविद्यालयों की स्थायी मान्यता की तिथि को ध्यान में रखते हुए क्रमवार ही संस्था को अनुदान सूची पर आने का प्रस्ताव किया जाय। क्रमान्तरक स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिबन्धों को महाविद्यालय द्वारा पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाय :

(1) महाविद्यालय अनुशासन बनाये रखने का उचित प्रबन्ध करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के आदेशों का सदैव पालन किया करेंगे।

(3) महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण एवं अन्य शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं करेगा।

(4) महाविद्यालय यदि परीक्षा केन्द्र बना है तो उसके विद्यार्थियों को नकल करने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया हो तथा महाविद्यालय सामूहिक नकल का दोषी नहीं पाया गया हो।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अनुदान अनुरक्षण सूची में सम्मिलित किये जाने की तिथि से महाविद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र छात्रों से प्राप्त शुल्काय का निर्धारित अंश वेतन संदाय खाते में नियमित रूप से जमा करेगा तथा महाविद्यालय की प्राभूति की राशि एवं सम्पत्ति की आय नियमित रूप से अनुरक्षण कोष में जमा करेगा। अनुदान पर लाये जाने के पूर्व के दायित्वों की पूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी।

4- उक्त मानक वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-XI-163/दस 86 दिनांक 20 जनवरी, 1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या 261(1)/15-86(11)-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि सचिवालय का वित्त (व्यय नियंत्रण-11) अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

1848/15-84(11)/14(1)/82

प्रेषक,

डा0 एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(1) अनुभाग

दिनांक लखनऊ 28 मई 1984

विषय : गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा माग की जाती रही है कि इन महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उसी महाविद्यालय में तृतीयश्रेणी के पद रिक्त होने पर कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें। इस मांग पर समुचित विचारोपरान्त शासन द्वारा यह स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि प्रदेश के गैर सरकारी महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लिपिक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत उक्त महाविद्यालय में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति के आधार पर भरा जायेगा जिन्होंने उस कालेज में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा जिनके सेवा अभिलेख सन्तोष जनक हों। यह पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी। पन्द्रह प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायगा तथा आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आरक्षित कोटे की पूर्ति भविष्य में होने वाली रिक्तियों द्वारा की जायेगी।

3. कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदनुसार परिनियमावलियों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,
एस.एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या 1848(1)/15-84(11)/14(1)/82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।

भवदीय,
एस.एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 5125/15-11-86-4ए(45)/85

प्रेषक,

डा0 एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (11) अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 198

विषय :- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों का रख-रखाव एवं उपयोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न छात्र निधियों में छात्रों से विभिन्न मदों में वसूल की जाने वाले शुल्क के रख-रखाव तथा इनके उपयोग के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश न होने के कारण छात्र निधियों का दुरूपयोग होता है।

2- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचोरापरान्त छात्र निधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम मार्ग दर्शन हेतु बनाये जाते हैं :-

(1) निम्नलिखित शुल्क जिन महाविद्यालयों में लिया जाता है छात्र निधियाँ मानी जायेगी और प्राचार्य के नियन्त्रण में रहेगी :-

1. क्रीड़ा शुल्क।
2. पत्रिका शुल्क।
3. परिचय पत्र शुल्क।
4. अध्ययन कक्ष शुल्क।
5. वार्षिक दिवस शुल्क।
6. परिषद शुल्क।
7. छात्र संघ शुल्क।
8. प्राथमिक चिकित्सा शुल्क।
9. निर्धन छात्र शुल्क।
10. काशन मनी।
11. अन्य कोई शुल्क जो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा छात्र निधि घोषित किया जाये।

(2) निम्नलिखित शुल्क छात्र निधियां नहीं मानी जायेगी किन्तु वह प्राचार्य एवं प्रबन्धक दोनों के सम्मिलि नियन्त्रण में होगी :-

1. छात्रावास शुल्क।
2. गर्म सर्द शुल्क (पंखा शुल्क)।
3. विकास शुल्क।
4. प्रासपेक्टस शुल्क।
5. छात्र पंजीकरण शुल्क।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन शुल्क।
7. गृह परीक्षा शुल्क।

(3) विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति-अनुदान छात्र निधि नहीं हैं किन्तु उनके लेखे का रख-रखाव, इन निधि का संचालन एवं वितरण का पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा।

3- छात्र कोषों के लिये एक अथवा एक से अधिक परामर्शदात्री समिति बनाई जायेगी जिसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा। यह समिति सम्बन्धित कोष के लिये प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग किया जायेगा। समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। सभी छात्र निधियाँ प्राचार्य के नियन्त्रण में होंगी और उन्हीं के माध्यम से व्यय की जायेगी। प्राचार्य स्वयं छात्र निधियों के रख-रखाव एवं उपभोग के लिये उत्तरदायी होंगे। महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा छात्र निधियों का सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रति वर्ष (न्यूनतम 2 वर्ष में एक बार) कराया जायेगा। और सम्प्रेक्षण आख्या प्रबन्ध समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा विभागीय आडिट के समय छात्रकोष से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा।

4- प्रत्येक छात्र कोष का पृथक बचत अथवा चालू खाता किसी स्थानीय बैंक में खोला जायेगा, जो प्राचार्य द्वारा नियन्त्रित किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो प्राचार्य किसी छात्र कोष के नियन्त्रण हेतु महाविद्यालय के बरसर अथवा वरिष्ठ अध्यापक को अधिकृत कर सकते हैं, किन्तु उक्त कोष से धन व्यय करने का उत्तरदायित्व प्राचार्य का ही होगा। छात्र कोष में अनियमितता पाये जाने पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

5- छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नहीं लिया जायेगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये वसूल की गई है।

6- यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात् तक अपनी काशन मनी वापस लेने के आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत (लैप्स) कर दी जायेगी।

7- यदि किन्हीं कारणों से किसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सामान्य रूप से छात्रकोष में बचत होने पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा महाविद्यालय के लिये खेल के मैदान हेतु भूमि क्रय, व्यायामशाला का निर्माण, स्टेडियम निर्माण, शौचालय निर्माण एवं सुधार, सड़कों की मरम्मत, पानी की व्यवस्था, अथवा अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने की अनुमति दी जा सकती है। इन कोषों की बचत से किसी वाहन के क्रय, नये विषय या संकाय खोलने हेतु भ्रमण हेतु अनुदान देने, भवनों का विस्तार करने, उपकरण क्रय करने तथा छात्र संघ के कार्य कलापों पर व्यय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा की अनुमति से छात्र कोषों की बचत से छात्र कल्याण निधि बनाने हेतु बचत प्रमाण-पत्र क्रय किये जा सकेंगे, उन बचत प्रमाण-पत्रों की ब्याज की आय को मेधावी छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति देने, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये छात्रों को सहायता करने, छात्रों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय किया जा सकेगा। इस खाते का नियन्त्रण एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा।

इस शासनादेश की कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

भवदीय,
एस. एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 5125(1)/15-11-86-4ए(45)/85

1- प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके अर्धशासकीय संख्या डिग्री अर्थ/1568/1986 दिनांक 17 मई, 1986 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस. एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 8202/15-11-86-4ए(46)/85

प्रेषक,

डा० एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (11) अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 1986

विषय :- शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क मुक्ति दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पार्श्वांकित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान समय में शुल्क मुक्ति की सुविधा देने के लिये प्राचार्यों द्वारा अलग-अलग मापदण्ड अपनाये जाते हैं। अतएव प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में शुल्क मुक्ति प्रदान किये जाने में एक रूपता लाये जाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्नांकित आदेश देते हैं :-

क्र0सं0 1-पत्र सं0 डिग्री
आडिट/2121/10-23(38)/83-84
दिनांक 9-11-1983
क्र0सं0 2-अ0शा0 पत्र सं0 डिग्री आडिट/419
दिनांक 22-5-1985

(1) शुल्क मुक्ति की सुविधा सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि के लिये दी जायेगी।

(2) यदि किसी माता/पिता के एक से अधिक पुत्र/पुत्री उसी महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और उनकी आर्थिक स्थिति शिक्षण शुल्क में रियायत की अपेक्षा करती हो तो महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा इसमें से एक छात्र/छात्रा को अर्धशिक्षण शुल्क की रियायत की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

(3) महाविद्यालय में शिक्षा पा रहे ऐसे मेधावी छात्र जिनके माता/पिता निर्धनता के कारण पूरा शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं उन्हें शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार मुक्ति के लिये उपर्युक्त पैरा-2 में छूट दी गई छात्रों की संख्या को "कुल छात्रों" की संख्या में घटाने के बाद जो छात्र संख्या अवशेष रहती है उसके 10 प्रतिशत की सीमा तक शिक्षण शुल्क से छूट की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

(4) महाविद्यालयों में शिक्षण पा रहे ऐसे छात्र जिनके माता/पिता निर्धनता के कारण शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं उन्हें आधे शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार की मुक्ति देने के लिये ऊपर पैरा-2 में नियायत दी गई छात्रों की संख्या को "कुल छात्रों" की संख्या में से घटाने के बाद अवशेष छात्र संख्या के 15 प्रतिशत तक की सीमा से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि किन्हीं परिस्थितियों में उपर्युक्त पैरा-3 में निर्धारित 10 प्रतिशत संख्या में छात्रों को निर्धारित पूर्ण शुल्क मुक्ति देने का औचित्य न समझा जाये तो ऐसी पूर्ण शुल्क मुक्ति अर्ध शुल्क मुक्ति के छात्रों की संख्या घटाने के बाद अवशेष छात्रों की कुल संख्या से $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक छात्रों से शुल्काय की हानि महाविद्यालय को न हो।

(6) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा-3 व 4 के अन्तर्गत उन्हीं छात्र/छात्रा को मुक्ति प्रदान की जायेगी जिनके माता/पिता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रू0 7200/- से कम होगी तथा छात्र/छात्रा ने गत परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(7) किसी भी छात्र को एक ही अनुच्छेद के अन्तर्गत शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी और इसका आधार निर्धनता तथा योग्यता होगा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को तथा ऐसे छात्रों को जिन्हें महाविद्यालय द्वारा अनुशासनहीनता तथा परीक्षा में नकल करने के कारण दण्डित किया गया हो, शुल्क मुक्ति से छूट नहीं प्रदान की जायेगी।

(8) शुल्क मुक्ति में रियायत का तात्पर्य केवल शिक्षण शुल्क से होगा। महंगाई भत्ता अथवा विकास शुल्क अथवा छात्र निधियों के शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

(9) अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्रा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क पाने के अधिकारी होंगे। इन समस्त शुल्कों की प्रति पूर्ति अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा हरिजन समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त की जाये।

(10) कुल छात्रों की गणना करते समय अशासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या को कुल छात्रों की संख्या में से घटाने के बाद अवशेष संख्या को ही शुल्क मुक्ति के लिये कुल छात्र संख्या माना जायगा।

(11) महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या का यह उत्तरदायित्व होगा कि शिक्षण शुल्क में दी गई रियायत का विवरण तथा आदेशों की प्रतियां सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें एवं सम्प्रेक्षण अथवा जांच के समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करायें।

(12) ये आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। इन नियमों से समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 8202[1]/15-11-86 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 8202[11]/15-11-86 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर।
4. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
5. सचिवालय के निम्न अनुभाग :
    1. शिक्षा अनुभाग-10
    2. शिक्षा अनुभाग-15
    3. वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-11

आज्ञा से,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 8202/15-11-86-4ए(46)/85

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री आडिट अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्राचार्या/प्रचार्य एवं प्रबन्धक,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री आडिट/11/1615-2100/86 दिनांक जुलाई 19, 1986

विषय :- अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना।

महोदय/महोदया,

निदेशालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क प्राप्त करने, उसे बैंक में जमा करने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी प्रविष्ट छात्रों से प्राप्त शुल्क प्राप्त नहीं हो पाती है। जो शुल्क प्राप्त होती है उसका भी निर्धारित अंश समय से वेतन संदाय के खाते में जमा नहीं हो पाता है। इन तथ्यों की जानकारी शुल्क लेखों की जाँच के पूर्व नहीं हो पाती है और इससे राजकीय राजस्व की हानि के साथ महाविद्यालय के राजस्व की भी हानि होती है। महाविद्यालय अधिकारियों को इस ओर भी सजग रहना चाहिए और उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महाविद्यालय में नामांकित समस्त छात्रों के समस्त देय शुल्काय प्राप्त कर महाविद्यालय के सम्बन्धित बैंक लेखों में जमा कर दी जाय। और उसका निर्धारित अंश वेतन संदाय खाते में जमा हो जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में निदेशालय का यह सुझाव है कि जिन महाविद्यालय के प्रांगण में अथवा महाविद्यालय के समीप स्टेट बैंक, राष्ट्रीय कृत बैंक अथवा कोआपरेटिव बैंक की सुविधा उपलब्ध है वे बैंक के माध्यम से छात्रों से शुल्क वसूली की कार्यवाही करायें जिससे शुल्काय की धनराशि में गबन, दुरूपयोग एवं दुर्विनियोजन की सम्भावना न रहे और समस्त आय सीधे पहले बैंक में जमा होना सुनिश्चित हो जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लें और जिन-जिन महाविद्यालयों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाय उसकी सूचना निदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगदेव प्रसाद
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

संख्या 676/15-11-87-3(11)/87

प्रेषक,

डा0 बी.एम.एल. तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा 11 अनुभाग :

लखनऊ : दिनांक 9 जुलाई, 1987

विषय :- प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रों की फीस की वसूली की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0 डिग्री आडिट/4542/दिनांक 24-2-87 के प्रसंग में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय के महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 1987-88 से प्रवेश लेने वाले छात्रों से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छोड़कर) पूरे वर्ष की शुल्क दो समान किश्तों में निम्न प्रकार से वसूल किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं :-

शुल्क की पहली किश्त के रूप में छः माह की शुल्क प्रवेश के समय वसूल की जाय तथा दूसरी किश्त के रूप में छः मास की शुल्क जनवरी मास में वसूल की जाय।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या को छोड़कर छात्रों के 10% छात्रों को पूर्ण शिक्षण शुल्क से मुक्ति तथा 15% छात्रों को आधे शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाती है। अतः आप महाविद्यालयों को यह आदेश दें कि वे छात्रों से प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त शिक्षण शुल्क का 10% प्राचार्य के पदनाम से एक पृथम खाता खोलकर जमा कर दें। जिससे जिन छात्रों को पूर्ण शुल्क मुक्ति स्वीकृत की जाती है उन्हें इसी खाते से क्रास चेक द्वारा देय वापसी धनराशि का भुगतान किया जा सके। इस खाते का आय-व्यय का लेखा एक अलग रोकड़ बही में प्राचार्य के नियन्त्रण में रखने की व्यवस्था की जाय। यदि किन्हीं कारणों से इस लेखे में वर्ष के अन्त में धन शेष रह जाता है तो उसका 75 व 80% भाग जैसी भी स्थिति हो वेतन संदाय खाते में तथा शेष भाग अनुरक्षण कोष में 30 जून अथवा परीक्षा समाप्ति पर जो भी बाद में हो जमा की जाय। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, हरिजन छात्रों को जो शिक्षण शुल्क, महंगाई शुल्क तथा अन्य शुल्क हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होती वह प्राप्त होने पर एक माह के भीतर उसका निर्धारित अंश वेतन संदाय खाते एवं अनुरक्षण कोष में स्थानान्तरित कर दिया जाय इसके लिए पूर्ण रूपेण प्राचार्य तथा एकाउन्टेण्ट को उत्तरदायी माना जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उक्त आदेशों के अनुसार अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित की जाय तथा सभी महाविद्यालयों को अवगत करा दिया जाये और कृत कार्यवाही से कृपया शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,
बी.एम.एल. तिवारी
संयुक्त सचिव।

संख्या 676 (11)/15-11-87-3 (11)/87 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
2. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, गोरखपुर।

अध्याय-दो

आरक्षण

1- लोक सेवाओं में आरक्षण

संख्या : 22/20/82 कार्मिक-2

प्रेषक,

ओ.पी. आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 1991

विषय : प्रतियोगितात्मक परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चुने गये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना उनके लिए आरक्षित कोटे के विपरीत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल 1991 में यह निर्देश दिये गये हैं कि खुली प्रतियोगिता/चयन में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ मेरिट के आधार पर सफल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् आरक्षित वर्ग के उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर आरक्षित रिक्तियों को अलग से भरा जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में शासन को प्राप्त जिज्ञासाओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) आरक्षित वर्ग के उसी अभ्यर्थी को श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चयनित माना जाय, जिसे चयन के दौरान किसी भी स्तर पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मापदण्ड यथा आयु सीमा अनुभव, योग्यता, परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या, पात्रता, विचारण क्षेत्र आदि में से किसी में भी कोई छूट न दी गयी हो।

(2) यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उक्त में से किसी भी छूट का लाभ लेकर प्रतियोगी परीक्षा/चयन में सम्मिलित हों तो उन्हें श्रेष्ठता के आधार पर चयनित न मानकर उनका समायोजन आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध ही किया जाय।

3. कृपया उक्त स्थिति से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ओ0पी0 आर्य,
सचिव।

संख्या : 22/20/82 (1) कार्मिक-2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
(5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) आयुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) सचिव, लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,   संख्या- ६४१/पन्द्रह/(१५)/९२-४६ (९२)/९१

श्री के० डी० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(१) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(२) वित्त अधिकारी/ कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (१५) अनुभाग

दिनांकः लखनऊः ३० जून १९९२

विषयः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड देने के लिये पूर्व सेवाओं की गणना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने तथा उच्च शिक्षा के मानक स्तर बनाये रखने के उपायों से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-९१ जी०आई०/ १५-११-८८-१४ (५)/ ८७ दिनांक ७, जनवरी १९८९ के संलग्नक-२ के प्रस्ताव संख्या-१०/१२ के अनुसार कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड हेतु अर्हता की शर्तें संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय ने उ०प्र० राज्य वि० वि० अधिनियम। १९७३ द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों को छोड़कर) के पूर्णकालिक अध्यापकों के लिये निम्नानुसार शर्तें निर्धारित करने की सहर्ष सहमति प्रदान कर दी है:-

(१) प्रवक्ता के पद वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान के लिये राजकोष से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ नेशनल लेबोरेटरी अथवा साइन्टिफिक आर्गनाइजेशन सी०एस०आइ०आर०, आई०सी०ए०आर०, डी०आर०डी०ओ०, यू०जी०सी० अथवा इनके अधीन नेशनल लेबोरेटरी, साइन्टिफिक आर्गनाइजेशन में की गई पूर्व सेवा लाभ वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान में अर्हता के लिये दिया जा सकता है, यदि सेवाओं में निरन्तरता हो और कोई व्यवधान न हो तथा निम्नलिखित पूर्ण हो रही हों :-

(क) पूर्व सेवा का पद प्रवक्ता के समान वेतनमान का रहा हो,
(ख) प्रवक्ता के पद के लिये जो शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित हैं, पूर्व पद पर अर्हताएं उनसे निम्न श्रेणी की न रही हों।
(ग) सम्बन्धित प्रवक्ता निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो,
(घ) पद पर चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो,
(च) तदर्थ नियुक्ति अथवा अवकाश रिक्ति में नियुक्ति एक वर्ष से कम अवधि की न रही हो,
(छ) वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान देने के फलस्वरूप ऐसे प्रवक्ताओं को संवर्ग में पूर्व सेवा के आधार पर वरिष्ठता का कोई क्लेम नहीं होगा,
(ज) उपरोक्त के परिणाम स्वरूप पेंशन योजना में वर्तमान में प्राविधानित व्यवस्था के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(२) मुझे भी कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश की शेष शर्तें शासनादेश संख्या-जी०आई०/१५-११-८८-१४ (५)/ ८७ दिनांक ७.१.१९८९ के अनुसार होंगी।

(३) राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में अलग से विचार हो रहा है।

(४) ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-११/१३४२/दस-९२, दिनांक ३० जून १९९२ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(के.डी. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,   संख्या- ४७७०/१५-(१७)-९२-१०(६)/९२

श्री सुबोध नाथ झा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(१) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(२) वित्त अधिकारी/ कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (१७) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक ३१ अक्टूबर १९९२

विषय : कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/ सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए पूर्व सेवाओं की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० ६४१/पन्द्रह (१५)/९२-४६ (४२)/९१ दिनांक ३०-६-९२ द्वारा कतिपय संबंधित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/ सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पूर्णकालिक प्रवक्तों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की सुविधा प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-३ में यह भी उल्लेख किया गया था कि राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में अलग से विचार किया जा रहा है। तदनुसार राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक प्रवक्ताओं को भी संशोधित शर्तों पर उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में निहित शर्तों के आधार पर उक्त सुविधा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक प्रवक्ताओं को भी अनुमन्य करा दी जाय तदनुसार राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या-६४१/पन्द्रह (१५)/९२-४६(४२)/९१, दिनांक ३०-६-९२ में उल्लिखित संशोधित शर्तों के अधीन राजकीय महाविद्यालयों के पूर्णकालिक प्रवक्ताओं को भी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए पूर्व की सेवाओं की गणना किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से दी जाती है।

आज्ञा से,
ह०/-
(श्याम लाल हेमवानी)
संयुक्त सचिव।

संख्या - 4784/15-(17)-92-78(9)/92

प्रेषक,

श्री श्याम लाल केसरवानी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (17) अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 1992

विषय : **कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए पूर्व सेवाओं की गणना किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0, इलाहाबाद के अर्धशासकीय पत्रांक-शि0नि0 (उ0शि0)/134/92, दिनांक 1 नवम्बर, 1992 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-4770/15-(17)-92-78(9)/92, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992 के प्रथम पैरा के अन्त में उल्लिखित "इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से" को समाप्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित पढ़ा जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-ई-11/2674/92, दिनांक 7 नवम्बर, 1992 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
श्याम लाल केसरवानी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 4784(1)/15-(17)-92-78(9)/92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को उनके पत्र संख्या : एफ 1-6/90 (पी. एस. सेल) दिनांक 20 सितम्बर, 1991 के संदर्भ में।
3- संयुक्त सचिव (यू0) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र संख्या - एफ 1-29/88-यू0आई0 दिनांक 23 अगस्त, 1990 के सन्दर्भ में।
4- परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (ई-11)।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-3
9- शिक्षा अनुभाग-10/11/17.।

आज्ञा से,
श्यामलाल केसरवानी
संयुक्त सचिव।

4. सचिवालय का शिक्षा-10 व 15-अनुभाग।
5. सचिवालय वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-11 ।

आज्ञा से,
बी.एम.एल. तिवारी
संयुक्त सचिव।

संख्या 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97

प्रेषक,

श्री अतुल चतुर्वेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 1997

विषय :- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर समुचित विचारोपरान्त शासन ने स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

अ- ए0आई0सी0टी0ई0 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) के अधीन आने वाले ऐसे पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय परिसर में चलाये जा रहे हैं अथवा चलाया जाना प्रस्तावित है, को शासन की स्वीकृति के लिए भेजने के पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय के समग्र सक्षम बाडीज जैसे - विद्या परिषद, कार्य परिषद आदि ने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसे प्रस्ताव केन्द्रीय संस्थान (ए0आई0सी0टी0ई0) को भेजने से छः माह पूर्व शासन में उपलब्ध करा दिये जायें। सम्बद्ध महाविद्यालयों में चलाये जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों का अपने स्तर पर सम्यक् परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को अपनी संस्तुति भेजेंगे। सभी प्रस्ताव ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप तथा उनके प्रारूप पर पूर्णतया तैयार किये जायें जिससे भूमि, अस्थायी रूप से चलाये जाने की व्यवस्था, पर्याप्त धन, छात्रावास, भविष्य की योजनाएं, कोर फैकल्टी तथा गेस्ट फैकल्टी आदि की सूचनायें विस्तृत रूप से उल्लिखित हों।

(2) इस प्रकार के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस सम्बन्ध में उसका ड्राफ्ट आर्डिनेन्स, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण शुल्क, बजट में पर्याप्त धन का प्राविधान, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, परीक्षा, मूल्यांकन, प्रबंध आदि का विस्तृत रूप से उल्लेख हो, बना लिये गये हैं तथा यह भी परीक्षण किया जायेगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित संकाय के परिनियम में प्राविधान कर लिया गया है और प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कर ली गयी है।

(3) निजी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें अनापत्ति प्रमाण पत्र ए0आई0सी0टी0ई0 से प्राप्त किया जाना है, हेतु शासन को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की अन्य बातों के साथ निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित कर लेने की सूचना भी दी जायेगी।

(1) संस्थान का संचालन नियमतः रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित है।

(2) प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु भूमि सोसाइटी/संस्थान के नाम है अथवा कम से कम 99 वर्ष के लिए लीज की व्यवस्था है।

(3) प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु स्थाई रूप से चलाने के लिए भवन, छात्रावास, कोर फैकल्टी तथा गेस्ट फैकल्टी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन की स्थिति।

(4) ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप पूर्ण प्रस्ताव।

(4) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा निजी संस्थानों में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु तीन तरह सीटें निम्नानुसार होंगी :-

1. नार्मल
2. सेल्फ सपोर्टिंग
3. एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड

क- कुल सीटों में से 15 प्रतिशत एन0आर0आई0, 35 प्रतिशत सेल्फ स्पोर्टिंग तथा 50 प्रतिशत नार्मल होंगी, परन्तु किसी विधि की अन्यथा व्यवस्था पर एन0आर0आई0 की सीटों का प्रतिशत परिवर्ति होगा।

ख- जब तक कि अन्यथा विधिक व्यवस्था नहीं हो जाती एन0आर0आई0 कोटे की सीटों को छोड़कर समस्त सीटों पर प्रवेश हेतु प्रदेश स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाना उचित हो

ग- इन पाठ्यक्रमों में मानकों का परीक्षण राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य उच्च शि परिषद परीक्षण करते समय यदि उचित समझें तो विशेषज्ञों को नामित कर सकती है और यदि प आवश्यक समझे तो स्थल निरीक्षण भी कर सकती है। यदि किसी समय परिषद कार्यशील न होगी प्रस्ताव शासन को सीधे भेजा जायेगा।

घ- संस्थानों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव 31 जुलाई तक सम्बन्धित विश्वविद्या को उपलब्ध करा दिये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त 30 सित तक प्रस्ताव शासन में उपलब्ध करा दिया जायेगा। 31 दिसम्बर तक ए0आई0सी0टी0ई0 को प्रस भेज दिये जायेंगे।

(5) ए0आई0सी0टी0ई0 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित अधिकतम शुल्क रखा जा सकता

1.	नार्मल कैटेगरी	रू0 8,000.00 प्रति वर्ष
2.	सेल्फ सपार्टिंग	रू0 30,000.00 प्रति वर्ष
3.	एन0आर0आई0	रू0 75,000.00 प्रति वर्ष

ब- <u>ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर के पाठ्यक्रम</u>

ए0आई0सी0टी0ई0 परिक्षेत्र से बाहर के पाठ्यक्रम यथा बी0बी0ए0/बी0सी0ए बी0बी0एम0/बी0एस-सी0/बी0ए0/बी0काम0/एल0एल-बी0 आदि पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ये पाठ्यक्रम वि0वि0 के स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष हैं। अतः इन पाठ्यक्रमों हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गये हैं :-

(1) इन पाठ्यक्रमों के मानक शासन द्वारा जारी नये महाविद्यालयों को खोले जाने सम्बन्धी शासनादेश 4557/15-82(11)-3(30)/80 दिनांक 14-3-1984 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

(2) परातकनीकी (Paratechnical) पाठ्यक्रमों पर प्रशासकीय स्वीकृति देने से पूर्व इन पर शासन सम्बन्धित विभाग (चिकित्सा शिक्षा, कृषि, प्राविधिक शिक्षा) का भी अभिमत प्राप्त किया जायेगा।

(3) किसी वि0वि0 से सम्बद्ध संस्था अथवा महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ली वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा।

(4) इन पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परिधि से बाहर गयी है, किन्तु महाविद्यालय अथवा संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विशेषज्ञ सम्बन्धित वि द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) इन महाविद्यालयों/संस्थानों का शिक्षण शुल्क वेतन संदाय खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) इन अध्यापकों पर उनकी सेवाकाल में अथवा सेवा निवृत्ति उपरान्त पड़ने वाला किसी प्रकार का वित्तीय भार किसी दशा में शासन वहन नहीं करेगा।

(7) इन अध्यापकों को यू0जी0सी0/शासन द्वारा निर्धारित वेतन दिया जायेगा परन्तु इससे अधिक देने के लिए महाविद्यालय/संस्था स्वतंत्र होगी।

(8) मानकों के अनुसार कम-से-कम 75 प्रतिशत कोर फैकल्टी रखी जायेगी तथा गेस्ट फैकल्टी 25 प्रति से अधिक न होगी।

(9) पूर्व में आर्डिनेन्स में निर्धारित शिक्षण शुल्क इन महाविद्यालयों/संस्थाओं में लागू नहीं होगा।

(10) इन स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की संस्थाओं में सामान्यतया निगमित निकाय (Corporate Body) के नियम लागू होंगे।

(11) इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव सम्बन्धित वि0वि0 को 31 जुलाई तक तथा शासन को 30 सितम्बर तक उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।

(12) क- बी0पी0एड0/बी0एड0/एल-एल0बी0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 तथा अन्य रोजगार परक स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रकार की सीटें होंगी :-

अ-	नार्मल	50 प्रतिशत
ब-	सेल्फ स्पोर्टिंग	35 प्रतिशत
स-	एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड	15 प्रतिशत

एन0आर0आई0/एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड सीटों का प्रतिशत इस सम्बन्ध में किसी विधि की अन्यथा व्यवस्था पर परिवर्तनीय होगा।

ख- बी0ए0/बी0एस-सी0/बी0काम0 आदि पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक ही प्रकार की सीट होगी जिसमें समस्त छात्रों से समान शिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

ग- बी0पी0एड0/बी0एड0/एल-एल0बी0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 तथा अन्य रोजगार परक स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए निम्नतम् अधिकतम शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है :-

अ-	नार्मल	रू0 6,000.00 प्रति वर्ष
ब-	सेल्फ स्पोर्टिंग	रू0 20,000.00 प्रति वर्ष
स-	एन0आर0आई0	रू0 30,000.00 प्रति वर्ष

घ- बी0ए0/बी0काम0/बी0एस-सी0 रू0 5,000.00 प्रति वर्ष

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगी।

3. जो पाठ्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं, उन पर उपर्युक्त मानक प्रभावी होंगे।

4. अतः अनुरोध है कि कृपया स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 1-7-98 से प्रारम्भ किये जाने वाले समस्त पाठ्यक्रम में सम्बन्धित क्लीयरेन्स/अनुमति, अस्थाई सम्बद्धता आदि प्रस्ताव उपर्युक्त मानकों के आधार पर ही परीक्षण/निरीक्षण कराकर भेजे जायें।

भवदीय,
अतुल चतुर्वेदी
सचिव

संख्या 1960(1)/सत्तर-2-97-2(85)/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. उ0शि0 अनुभाग-1 को उक्त मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही हेतु।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
कुलदीप एन0 अवस्थी
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या - 3893/सत्तर-4/97-46(38)/96, दिनांक 30 दिसम्बर, 1997

का संलग्नक

राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों हेतु शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के मानक

पुरुष छात्रावास

परिचर	-	प्रति 25 छात्रों पर एक
चौकीदार	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये 3 आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर।
गेट मैन	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये 2 आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर।
सफाईकार	-	प्रति 50 कक्षों पर एक।
माली	-	एक-यदि छात्रावास में उद्यान हो।

महिला छात्रावास

मैट्रन	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये एक
नैत्यिक लिपिक	-	एक
आया	-	प्रति 25 छात्राओं पर एक
माली	-	एक - यदि उद्यान हो।
सफाईकार	-	प्रति 50 कक्षों पर
चौकीदार	-	तीन-प्रत्येक 6-8 घन्टे की ड्यूटी पर।
गेटमैन	-	प्रति गेट पर दो प्रत्येक आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर
कुक	-	प्रति 20 छात्राओं पर एक
परिचर	-	प्रति 25 छात्राओं पर एक।

एस0 डी0 तिवारी

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या : 736/70-4/2000-46(20)/94

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय राज्य,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2000

विषय : राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर उ0प्र0 सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट/वचनबद्धता उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं में जो अनुदान स्वीकृत किया जाता है, उनमें कुछ योजनाओं में एक निश्चित "अंश" शासन / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को वहन करना होता है तथा कुछ योजनाओं में योजनागत अवधि के बाद पूरा व्यय वहन करने की वचनबद्धता दी जानी होती है। इस संबंध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2638 / पन्द्रह / 15 / 94-46(20) / 94, दिनांक 23 जुलाई, 1994 द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की जिन परियोजनाओं को स्वीकार करते हुए अनुदान देगा, राज्य सरकार उन योजनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग अंश के विरूद्ध राज्यांश उपलब्ध करायेगी और पदों के संबंध में वचनबद्धता देगी।

उपरोक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें निश्चित अवधि के बाद राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन किये जाने वचनबद्धता देनी होगी, प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, परन्तु यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय इन योजनाओं में पर्याप्त आय प्राप्त करते हैं और अलग से लेखा-जोखा रखकर आयोग की सहायता अवधि समाप्त होने के बाद उस आय से उस योजना के संबंध में व्यय वहन कर सकते हैं, अपने स्तर से प्रतिबद्धता देने हेतु स्वतंत्र होंगे।

शासनादेश संख्या-2638 / पन्द्रह (15) / 94-46(20) / 94, दिनांक 23 जुलाई, 1994 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव

3- असेवित क्षेत्र में खोले जाने वाले स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के मानक

संख्या : 35/सत्तर-6/99-77/98

प्रेषक,

शंकर दत्त तिवारी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक : 19 मई, 1999

विषय : **निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिये मानकों का निर्धारण।**

महोदय,

असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोले जाने हेतु निजी प्रबन्धतन्त्र / संस्थाओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निजी संस्थाओं को अपने सम्पूर्ण अवधि में

स्नातक स्तर पर भवन निर्माण, पुस्तकालय तथा उपकरण हेतु एक संकाय के लिये अधिकतम रू0 30 लाख तथा 2 संकाय अथवा उससे अधिक संकायों के लिये अतिरिक्त 20 लाख रूपये कुल अधिकतम 50 लाख तक का अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। किसी विकास खण्ड में यदि एक ही महाविद्यालय संचालित है और वह नया संकाय, जो पहले से वहां पर संचालित न हो, खोलना चाहते हैं, तो ऐसे महाविद्यालय भी इस योजना से आच्छादित होंगे। प्रबन्धतन्त्रों/संस्थाओं को नये महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान दिये जाने हेतु निम्न मानक निर्धारित किये जाते हैं।

1- 16 किमी0 की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय स्थापित न हो अथवा ब्लाक में पहले से कोई महाविद्यालय न हो।

2- महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय प्रस्तावित कक्षाओं में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।

3- ऐसे स्नातक महाविद्यालयों को एक साथ अथवा अलग-अलग कला, विज्ञान तथा वाणिज्य आदि विषयों की यथावश्यकता क्लियरेन्स/सम्बद्धता दी जा सकेगी।

4- निर्धारित मानकों के अनुसार प्राभूत की राशि जमा कर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम बन्धक रखनी होगी।

5- शहरी क्षेत्रों में केवल महिला महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुदान दियां जायेगा, जहाँ पहले से कन्या महाविद्यालय न हो।

6- स्नातक स्तर पर एक संकाय के लिये उपरोक्तानुसार भवन निर्माण/पुस्तकालय/उपकरण के लिये अधिकतम एकमुश्त अनुदान रू0 30.00 लाख तक दिया जायेगा। दो/तीन संकाय के लिये अनुदान की अधिकतम राशि रू0 50.00 लाख होगी। अनुदान दो किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। अनुदान की राशि का उपभोग किश्त जारी करने के एक वर्ष के भीतर करना होगा। प्रथम किश्त अवमुक्त करने के पूर्व प्रबन्धतन्त्र को वचनबद्धता/शपथपत्र द्वारा देनी होगी कि जो परिसम्पत्तियाँ सृजित होगी, उसके निर्माण में प्रस्तावित आगणन की 50% धनराशि प्रबन्धतन्त्र द्वारा स्वयं लगायी जायेगी। प्रथम किश्त अवमुक्त तभी होगी जब कि संस्था अपने बैंक के खाते में आगणन का न्यूनतम 10% जमा होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे एवं वह अंडरटेकिंग दे कि वह एक वर्ष के अन्दर आगणन का 25% जुटाने में सक्षम है। द्वितीय किश्त तभी अवमुक्त होगी जब आगणन का 50% व्यय संस्था के संसाधनों व प्रथम किश्त से प्राप्त धनराशि द्वारा किया जा चुका हो। इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र संस्था द्वारा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

7- स्वीकृत अनुदान की राशि का दुरूपयोग करने अथवा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में 6 माह से अधिक विलम्ब होने पर इसकी वसूली 16% ब्याज की दर से भू-राजस्व में बकायादार के रूप में वसूली प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों से यथास्थिति प्रस्तावक से की जायेगी।

8- स्ववित्त प्रबन्धन पाठ्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।

9- भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला पर निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यय किया जायेगा, भूमि भू-अभिलेखों में महाविद्यालय के नाम दर्ज होना अनिवार्य है। भूमि का क्रय, शासन से स्वीकृत अनुदान की राशि से नहीं किया जायेगा भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित दर पर आगणन में सम्मिलित माना जा सकेगा परन्तु अधिकतम 5 लाख रू0 अनुमन्य होगा।

10- महाविद्यालय की भूमि, भवन 15 वर्षों के लिये शासन के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी।

11- अध्यापकों की नियुक्ति प्रबन्धतन्त्र द्वारा की जायेगी परन्तु शैक्षिक अर्हतायें वही होंगी जो यू0जी0सी0/परिनियम/शासन द्वारा निर्धारित हों।

संख्या 1991/70-2/98-16(49)/98

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से
नियंत्रित समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1998

विषय :- प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गैर स्व वित्त पोषित अर्थात् सामान्य शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में गैर स्व-वित्त पोषण के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों की दरें 01-07-1981 से प्रभावी की गयी थीं, जो निम्नानुसार हैं :-

शुल्क	दरें
शिक्षण शुल्क रूपये	
1. (क) स्नातक स्तर	11.00 प्रतिमाह
(ख) स्नातकोत्तर स्तर व एल.एल.बी.	15.00 प्रतिमाह
(ग) बी0एड0	18.00 प्रतिमाह
2. महंगाई भत्ता शुल्क (सभी कक्षाओं के छात्रों से)	3.50 प्रतिमाह
3. प्रयोगशाला शुल्क ऐसे स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रत्येक छात्रों में से जो विज्ञान संकाय के हैं, अथवा जिन्होंने कला संकाय में एक या अधिक प्रयोगात्मक कार्य युक्त विषय ले रखे हैं	4.00 प्रतिमाह
4. प्रवेश शुल्क / पुनः प्रवेश शुल्क	3.00 प्रति छात्र
5. पुस्तकालय शुल्क	
(क) स्नातक स्तर	3.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
(ख) स्नातकोत्तर स्तर, बी0एड0, एल0एल0बी0	10.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
6. विकास शुल्क	20.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
7. पंखा शुल्क	4.50 प्रति छात्र प्रतिवर्ष (यह शुल्क उन कालेजों में नहीं लिया जायेगा जहां पंखा की सुविधा नहीं है)

2. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बिन्दु विचारणीय है :-

(क) 01-07-1981 के बाद से रूपये की कीमत में व्यापक ह्रास हुआ है।

(ख) विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित साधनों से पूरा किया जा सकना सम्भव नहीं है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश रिफार्म्स मैट्रिक्स में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उच्च शिक्षा में कॉस्ट रिकवरी किया जाने का प्रयास किया जाये।

(घ) 01-01-1996 से अध्यापकों के वेतनमानों में प्रस्तावित पुनरीक्षण के फलस्वरूप भी अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

उपरोक्त समस्त पहलुओं पर विचार करके तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र में पठन-पाठन तथा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

(क) पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण वित्तीय वर्ष 1998-99 में होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(ख) वित्तीय वर्ष 1999-2000 में होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 20 प्रतिशत अंश में से 10 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 20 प्रतिशत अंश में से 15 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(घ) वित्तीय वर्ष 2001 से होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

3. यह भी विदित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा (7) (14) एवं धारा 52(3)(सी) के प्राविधानों के अनुसार आप सक्षम अनुमोदन से ऐसे अध्यादेश बनवा सकते हैं अथवा पूर्व में बने अध्यादेशों में संशोधन कर सकते हैं जो आपके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध/सहयुक्त/घटक महाविद्यालयों में विभिन्न शुल्कों का निर्धारण करते हों।

4. उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए लिये जाने वाले शुल्कों हेतु अध्यादेश/अध्यादेश संशोधन का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में विलम्बतम एक माह के अन्दर शासन को सहमति हेतु उपलब्ध करा दें।

भवदीय,
विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1991(1)/70-2-98-16(49)/98, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से नियंत्रित प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों/वित्त अधिकारियों को एवं उच्च शिक्षा निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
कुलदीप एन0 अवस्थी
अनु सचिव।

संख्या 2806/70-4/2000-46(50)/99

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 — लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2000

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क का निर्धारण पूर्व में आदेश संख्या-1734/पन्द्रह-15-80(11-12), दिनांक 6-5-81 द्वारा किया गया था तब से शासन द्वारा समय-समय पर शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इससे शासन पर व्ययभार कई गुना बढ़ गया है, परन्तु महंगाई शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रयोगशाला शुल्क भी उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित किया गया था। तब से प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली सामग्री के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु प्रयोगशाला शुल्क में पुनरीक्षण न होने के कारण महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से प्रतिमाह रू0 20/- मंहगाई शुल्क के रूप में लिया जायेगा। जिन विषयों में प्रयोगात्मक कार्य कराया जाता है और प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं उनमें प्रयोगशाला शुल्क भी रू0 20/- प्रतिमाह की दर से लिया जायगा।

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार मंहगाई शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क को लागू कर दिया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न होंगे।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या-2806(1)/70-4/2000-तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3. सचिव, वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6. समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या 2807/70-4/2000-46(50)/99

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2000

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में एल0एल0बी0/बी0एड0 आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हाल में किए गए वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासन पर वित्तीय भार बहुत बढ़ गया है, जबकि शिक्षण शुल्क की दरों में वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा जो शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है वही शिक्षण शुल्क उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में लिया जायेगा। यदि किसी विश्वविद्यालय में अपने परिसर में बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 कक्षायें संचालित नहीं है और इस कारण उस विश्वविद्यालय में इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तब इन पाठ्यक्रमों में ऐसे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क उसी दर से लिया जायेगा जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए निम्नवत् शिक्षण शुल्क निर्धारित किये गये हैं :-

1.	बी0एड0/एम0एड0	रू0 110/- प्रतिमाह
2.	एल0एल0बी0/एल0एल0एम0	रू0 75/- प्रतिमाह
		(यदि वार्षिक परीक्षा हो)

रू0 1500/- प्रति सेमेस्टर प्रथम 4 सेमेस्टर में तथा रू0 3,000/- प्रति सेमेस्टर अन्तिम 2 सेमेस्टर में (यदि सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था हो)।

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार शिक्षण शुल्क लागू किया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न होंगे।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या 2807/70-4/2000,तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3. सचिव, वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6. समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार
सचिव।

2. पर्वतीय अंचल में असेवित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति

संख्या 732/5(1)/28-2-80

प्रेषक,

श्री कृष्ण बिहारी मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0,
(शिक्षा अर्थ-3 विभाग) इलाहाबाद।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक नवम्बर 17, 1980

विषय :- पर्वतीय अंचल में असेवित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां उच्च शिक्षा हेतु 10 कि0मी0 परिधि में कोई डिग्री कालेज उपलब्ध न हो, वह क्षेत्र असेवित क्षेत्र समझे जायेंगे। इस क्षेत्र में निवास करने वाले छात्रों को जो उच्च अध्ययन हेतु अपने निवास स्थान से निकटतम महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र (1980-81) से विशेष छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दर छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों को रू0 100/- प्रतिमाह तथा ऐसे कालेजों में जहाँ छात्रावास की सुविधा न हो रू0 125/- प्रतिमाह होगी। छात्रवृत्ति की सुविधा केवल स्नातक स्तर तक की उपलब्ध होगी।

2- राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980-81) में उक्त प्रयोजन हेतु रू0 2,00,000/- (केवल दो लाख रूपये मात्र) की धनराशि आपके अधिकार में रखते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूचना यथा समय शासन